रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2017/भाद्र 28, 1939
No. 364] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2017/ BHADRA 28, 1939

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

सं. आरसीबी/आरईजी/2017/02.—प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र संविधियां, 2017 के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 10 के साथ-साथ प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र अधिनियिम, 2016 (2016 की 36वीं) की धारा 43 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र के अध्ययन बोर्ड की ओर से प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र (भारत में उच्च शिक्षण संस्थान की मान्यता तथा शैक्षिक कार्यक्रम के संचालन) नियमावली, 2017 को अधिसूचित करती है।

"अध्ययन बोर्ड

प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र

प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (भारत में उच्च शिक्षण संस्थान की मान्यता तथा शैक्षिक कार्यक्रम के संचालन) नियमावली, 2017

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

सं. आर. सी. बी./आर. ई. जी./2017/02.—अध्ययन बोर्ड, प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विनियम, 2017 से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 10 के साथ पठित प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (भारत के भीतर उच्चतर शिक्षा संस्थान की मान्यता और शैक्षणिक कार्यक्रम) विनियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) "शैक्षिणिक समिति" से प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अध्यादेश, 2017 के अध्यादेश 2.1 के खंड (iii) में निर्दिष्ट शैक्षिणिक समिति अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्ययन बोर्ड" से अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "मान्यताप्राप्त केन्द्र" से प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी अध्यादेश, 2017 के अध्यादेश 2.1 के खंड (viii) में यथा परिभाषित मान्यताप्राप्त केन्द्र अभिप्रेत है ;

(ड.) "प्रादेशिक केन्द्र" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) में निर्दिष्ट प्रादेशिक केन्द्र अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम या प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विनियम, 2017 या प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अध्यादेश, 2017 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस अधिनियम या उक्त विनियमों या उक्त अध्यादेश में हैं ।

3. **विनियमों का अध्यादेशों और परिनियमों के अतिरिक्त और अनुपूरक होना** – अधिनियम के इस प्रयोजन के लिए भारत के भीतर उच्चतर शिक्षा संस्थान की मान्यता और ऐसी मान्यता का वापस लिया जाना मुख्य रूप से प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अध्यादेश, 2017 के अध्यादेश 19 और प्रादेशिक प्रौद्योगिकी केन्द्र विनियम, 2017 से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 2 के खंड (घ) में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा विनियमित होगा और ये विनियम उक्त अध्यादेशों विनियमों के उपबंधों के अतिरिक्त और अनुरूप होंगे ताकि इनको और स्पष्ट कर सकें।

4. **किसी केन्द्र की मान्यता के लिए सन्नियम और मानक** –अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इसके शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए भारत के भीतर प्रादेशिक केन्द्र की मान्यता चाहने वाला प्रत्येक संस्थान प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अध्यादेश, 2017 के अध्यादेश 19 में निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करेगा ।

5. **मान्यता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्रक्रिया** – अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान की मान्यता अनुमोदन करने के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित रीति में होगी, अर्थात् :-

(क) भारत के भीतर मान्यता चाहने वाला कोई संस्थान अधिनियम के कार्यक्षेत्र और उसके अधीन बने विनियमों और अध्यादेशों के अंतर्गत आने वाले इसके शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा उपलब्ध ऐसे रूपविधान में अपेक्षित जानकारी देगा ;

(ख) ऐसी मान्यता के लिए प्रस्ताव प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव द्वारा पूरे वर्ष प्राप्त किए जाएंगे और अध्ययन बोर्ड को उसकी अगली उपबल्ध बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(ग) अध्ययन बोर्ड, भारत के भीतर प्रादेशिक केन्द्र के मान्यताप्राप्त केन्द्र के रूप में संस्थान की पात्रता के प्रस्ताव का, अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बने विनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार प्रस्तावित शैक्षिक कार्यक्रम की वांछनीयता, व्यवहार्यता और सुसंगता का प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षणिक अपेक्षाओं को पूरा करने संबंधी पुनर्विलोकन करेगा;

(घ) अध्ययन बोर्ड, ऐसे प्रस्ताव का स्वयं पुनर्विलोकन कर सकेगा या ऐसे किसी पैनल की रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा जो ऐसी संस्थान का निरीक्षण करने और प्रस्तावित संकाय के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाए;

(ड.) अध्ययन बोर्ड की सिफारिशें बोर्ड की अगली उपलभ्य बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी और मान्यता के लिए प्रस्ताव बोर्ड का अनुमोदन या अन्यथा, मान्यता आवेदन करने वाली संस्थाओं को प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के तत्पश्चात संस्थान का नाम प्रादेशिक केन्द्र द्वारा वेबसाइट पर प्रादेशिक केन्द्र की मान्यताप्राप्त संस्था के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा ;

(च) ऐसी अधिसूचना की पालना करते हुए मान्यताप्राप्त केन्द्र प्रादेशिक केन्द्र के साथ लिखित सहमति-पत्र करेगा और ऐसा ज्ञापन, सहयोग के अंतर्गत आने वाले उद्देश्यों, आवश्यकताओं और विशिष्ट क्रियाकलापों को स्पष्ट करेगा, जो प्रादेशिक केन्द्र के कार्यपालक निदेशक और मान्यताप्राप्त केन्द्र के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

6. **मान्यताप्राप्त केन्द्र के संकाय की मान्यता** - मान्यताप्राप्त केन्द्र के संकाय की मान्यता निम्नलिखित रीति में होगी, अर्थात् :-

(क) मान्यताप्राप्त केन्द्र के केवल नियमित अनुसंधान और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि या चिकित्सा डिग्री रखते हों और जिनके पास अनुसंधान या अध्यापन या दोनों का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो, प्रादेशिक केन्द्र के सहायक संकाय के रूप में मान्यताप्राप्त केन्द्र के संकाय की शैक्षणिक संबद्धता, बिना किसी वित्तीय बाध्यता या प्रादेशिक केन्द्र में की अन्य प्रकार की हकदारी, के होगी ;

(ख) मान्यताप्राप्त केन्द्र के ऐसे अनुसंधान कर्मचारिवृंद, जो वेतन बैंड-3 (धन 7600 रु. ग्रेड वेतन) में नियुक्त हो, सहबद्ध सहायक आचार्य के रूप में मान्यताप्राप्त प्रदान किए जाने के लिए पात्र होंगे और मान्यताप्राप्त केन्द्र के अनुसंधान कर्मचारिवृंद जो वेतन बैंड-4 में (धन 8700 रु. या 8900 रु. ग्रेड वेतन) नियुक्त हों, सहबद्ध सहयुक्त आचार्य के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के लिए पात्र होंगे और प्रादेशिक केन्द्र के अनुसंधान कर्मचारिवृंद जो वेतन बैंड-4 में ग्रेड वेतन 10000 रु. या उच्चतर वेतनमान में हैं, सहबद्ध आचार्य के रूप में मान्यता प्राप्त किए जाने के लिए पात्र होंगे ;

(ग) मान्यताप्राप्त केन्द्र का प्रधान प्रादेशिक केन्द्र में सहबद्ध संकाय के रूप में मान्यता के लिए संकाय के नामों की सिफारिश करेगा और सिफारिश किए गए संकाय का जीवनवृत्त मान्यताप्राप्त केन्द्र में वर्तमान नियुक्तियों का स्तर और शैक्षणिक तथा पूरे किए गए अनुसंधान का ब्यौरा देते हुए, अध्ययन बोर्ड को सिफारिशें उसके विचार के लिए प्रस्तुत करेगा और मान्यताप्राप्त केन्द्र के संकाय की मान्यता प्रादेशिक केन्द्र सहबद्ध संकाय के रूप में प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव द्वारा अधिसूचित की जाएगी और प्रादेशिक केन्द्र की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी ।

7. **मान्यताप्राप्त केन्द्र द्वारा संदेय वार्षिक फीस और मान्यता फीस** - प्रादेशिक केन्द्र को संदेय, अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित, कोई फीस, शैक्षणिक प्रशासन, छात्र अभिलेख प्रबंधन, शोधपत्र मूल्यांकन करने और अन्य इसी प्रकार के अन्य विषय पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए, मान्यताप्राप्त केन्द्र से प्रभार्य होगी और इसके अतिरिक्त मान्यताप्राप्त केन्द्र में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र शैक्षणिक प्रशासन फीस अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत, का संदाय प्रादेशिक केन्द्र को करेगा ।

8. **शैक्षणिक कार्यक्रम का संचालन** – (1) मान्यताप्राप्त केन्द्र शैक्षणिक कार्यक्रम के संचालन के लिए उसकी शैक्षणिक समिति का गठन करेगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) मान्यताप्राप्त केन्द्र का प्रधान	-	अध्यक्ष
(ii) मान्यताप्राप्त केन्द्र के प्रधान द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले मान्यताप्राप्त केन्द्र से दो वरीष्ठ संकाय सदस्य	-	सदस्य
(iii) अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक बाह्य शिक्षाविद्	-	सदस्य
(iv) प्रादेशिक केन्द्र का कुलसचिव या इस का नाम-निर्देशिती	-	सदस्य
(v) मान्यताप्राप्त केन्द्र के प्रधान द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला मान्यताप्राप्त केन्द्र से शैक्षणिक समन्वयक	-	सदस्य सचिव

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसके पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष होगी और नवीकृत की जा सकेगी तथा उक्त उप-विनियम में निर्दिष्ट बाह्य सदस्यों की बैठक फीस और आवास तथा यात्रा व्यय मान्यताप्राप्त केन्द्र द्वारा संदेय होंगे ।

अनुसूची

प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र

मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप का प्रस्ताव

1. संस्था का नाम:
2. पता:
3. संस्था का आदेश:
4. संस्था की प्रास्थिति - केन्द्रीय या राज्य सरकार – वित्त पोषित या स्वायत्त सहकारी समिति या स्वाबलंबी या कोई अन्य
5. स्थापना वर्ष:
6. संपर्क व्यक्ति (नाम, फोन, ई-मेल):
7. संस्था में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम:
8. किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता, यदि कोई है:
9. पाठ्यक्रम, जिनके लिए प्रादेशिक केन्द्र की मान्यता चाही गई है (कृपया पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों तथा इसकी प्रस्तावित अवसंरचना के ब्यौरे दीजिए)
10. प्रत्येक पाठ्यक्रम के आरंभ करने का प्रस्तावित वर्ष:
11. प्रति वर्ष छात्रों की प्रस्तवित संख्या :
12. कक्षाओं की संख्या:
13. अनुसंधान प्रयोगशालाओं की संख्या:
14. केन्द्रीय सुविधाएं:
15. संकाय के ब्यौरे:
16. छात्र कार्य प्रबंधन के लिए सहायक कर्मचारिवृन्द की संख्या
17. संस्था के बारे में और कोई अन्य जानकारी:

(कृपया हाल की वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करें)

डॉ. सुधांशु व्रती, अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड''

चन्द्र प्रकाश गोयल, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./233/17]

IndiaCode

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2017

No.RCB/REG/2017/02.—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016) along with article 10 of the of the Second Schedule annexed to the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, 2017, the Central Government on behalf of the Board of Studies, Regional Centre for Biotechnology hereby notifies the Regional Centre for Biotechnology (Recognition of Institution of Higher Learning within India and conduct of the Academic Programme) Regulations 2017.

"BOARD OF STUDIES

(REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY)

Regional Centre for Biotechnology (Recognition of Institution of Higher Learning within India and Conduct of the Academic Programme) Regulations, 2017

New Delhi, the 15th September, 2017

No. RCB/REG/2017/02.—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016) read with article 10 of the Second Schedule annexed to the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, 2017, the Board of Studies hereby makes the following regulations, namely: –

1. **Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called the Regional Centre for Biotechnology (Recognition of Institution of Higher Learning within India and conduct of the Academic Programme) Regulations, 2017.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

 (a) "Act" means the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016);

 (b) "Academic Committee" means the Academic Committee referred to in clause (iii) of ordinance 2.1 of the Ordinances of the Regional Centre for Biotechnology, 2017;

 (c) "Board of Studies" means the Board of Studies referred to in clause (c) of section 2 of the Act;

 (d) "Recognised Centre" means the Recognised Centre as defined in clause (viii) of ordinance 2.1 of the Ordinances of the Regional Centre for Biotechnology, 2017;

 (e) "Regional Centre" means the Regional Centre referred to in clause (n) of section 2 of the Act.

 (2) Words or expressions used herein and not defined but defined in the Act or the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, 2017, or the Ordinances of the Regional Centre for Biotechnology, 2017, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act or the said Statutes or the said Ordinances.

3. **Regulations to be in addition to and supplement the Statutes and Ordinances.**- The recognition of institutions of higher learning within India for the purpose of the Act, and to withdraw such recognition, shall primarily be regulated by the provisions contained in clause (c) of the article 2 of the Second Schedule annexed to the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, 2017 and ordinance 19 of the Ordinances of the Regional Centre for Biotechnology, 2017, and these regulations shall be in addition to and consistent with the provisions of the said Statutes and Ordinances so as to clarify and supplement them.

4. **Norms and standards for recognition of a Centre.-** Every institution seeking the recognition of Regional Centre within India for its academic programme for the purposes of the Act shall meet the criteria as specified in ordinance 19 of the Ordinances of the Regional Centre for Biotechnology, 2017.

5. **Submission of proposal for recognition and approval process.-** The proposal for recognising an institution of higher learning for the purposes of the Act and the process for approving such recognition shall be in the following manner, namely:-

(a) an institution seeking recognition in India for its academic programmes falling under the purview of the Act and the Statutes and Ordinances made thereunder shall forward the requisite information in such format as provided in the schedule annexed to these regulations;

(b) proposals for such recognition shall be received by the Registrar of the Regional Centre throughout the year and shall be presented to the Board of Studies in its next available meeting;

(c) the Board of Studies shall review the proposal for the eligibility of the institution as a Recognised Centre of the Regional Centre within India in accordance with the provisions of the Act and the Statutes and Ordinances made thereunder, and the desirability, viability, and conformity of the proposed academic programme in meeting the academic requirements of the Regional Centre;

(d) the Board of Studies may on its own review such proposal, or may consider the report of a panel that it may appoint to inspect such institution and interact with the proposed faculty;

(e) the recommendations of the Board of Studies shall be presented to the Board for approval in the next available meeting, and the approval of the Board or otherwise to the proposal for the recognition shall be notified by the Registrar of the Regional Centre to the applying institutions, and subsequent to such approval, the name of the institute shall be displayed on the Regional Centre website as an institution recognised by the Regional Centre; and

(f) following such notification, the Recognised Centre shall enter into a written memorandum of understanding with Regional Centre, and such memorandum shall specify the objectives, needs and specific activities covered under the collaboration, which shall be signed by the Executive Director of the Regional Centre and the Head of the Recognised Centre.

6. Recognition of the faculty of Recognised Centre. – The recognition of the faculty of the Recognised Centre shall be in the following manner, namely:-

(a) only the regular research and academic staff of the Recognised Centre having Doctor of Philosophy or Doctor of Medicine degree with a minimum of three years' research or teaching experience or both shall be eligible for recognition as an adjunct faculty of the Regional Centre and it shall purely be an academic affiliation to the faculty of the Recognised Centre without any financial obligation or any other entitlement at the Regional Centre;

(b) research staff of the Recognised Centre having appointments in the pay band-3 (with grade pay Rs.7600) shall be eligible to be recognised as an Adjunct Assistant Professor, and research staff of the Recognised Centre having appointments in the pay band-4 (with grade pay Rs. 8700 or 8900) shall be eligible to be recognized as an Adjunct Associate Professor, and research staff of the Recognised Centre having appointments in the pay band-4 (with grade pay Rs. 10000), or higher scale, shall be eligible to be recognised as an Adjunct Professor; and

(c) the head of the Recognised Centre shall recommend the names of the faculty for recognition as adjunct faculty at the Regional Centre and the recommendations along with bio-data of the recommended faculty, detailing the academic and research accomplishments and current level of appointments at the Recognised Centre, shall be submitted to the Board of Studies for its consideration and the recognition of the faculty of the Recognised Centre as a Regional Centre adjunct faculty shall be notified by the Registrar of the Regional Centre and displayed on the website of the Regional Centre.

7. **Recognition fee and annual fee payable by Recognized Centre. -** To cover the cost of academic administration, management of student records, and conduct of thesis evaluation and other similar matters, a fee shall be chargeable from the Recognised Centre, as decided by the Board of Studies from time to time, payable to the Regional Centre and in addition, each student registered with the Recognised Centre shall pay the academic administration fee as fixed by the Board of Studies from time to time to the Recognised Centre.

8. **Conduct of academic programme.** – (1) For the conduct of academic programme, the Recognized Centre shall constitute its Academic Committee with the following composition, namely:-

(i) Head of the Recognised Centre — Chairperson;

(ii) two senior faculty members from the Recognised Centre to be nominated by the Head of the Recognised Centre — Members;

(iii) one external academician to be nominated by the Chairperson of the Board of Studies — Member;

(iv) Registrar of the Regional Centre or its nominee — Member;

(v) Academic Coordinator from the Recognised Centre to be nominated by the Head of the Recognised Centre — Member-Secretary.

(2) The term of the nominated member referred to in sub-regulation (1) shall be three years from the date on which he enters upon office and may be renewed and the travel and accommodation expenses, and the sitting fee of the external members referred to in the said sub-regulation, shall be payable by the Recognised Centre.

SCHEDULE

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY

Format of application for seeking recognition

1. Name of the Institution:

2. Address:

3. Mandate of the institution:

4. Status of the Institution: State or Central Government – funded or autonomous society or self-supporting or any others:

5. Year of establishment:

6. Contact person (Name, Phone, e-mail):

7. Courses presently conducted at the institution:

8. Recognition by a university, if any:

9. Courses for which seeking Regional Centre's recognition:
(Please provide details on the objectives and goals of the course, and its proposed structure)

10. Proposed year of start of each course:

11. Proposed intake of students per year:

12. Number of Classrooms:

13. Number of research laboratories:

14. Central facilities:

15. Details on the faculty:

16. Number of support staff to manage the student affairs:

17. Any other information about the Institution:
(Please attach the recent annual report)

Dr. SUDHANSHU VRATI, Chairperson of the Board of Studies"

CHANDRA PRAKASH GOYAL, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./233/17]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.09.20 16:26:25 +05'30'